

उपाबंध 1

[नियम 6 (ठ) देखें]

प्रारूप-क

वन भूमि के अधिकारों के लिए दावा प्रारूप

[नियम 11 (1) (क) देखें]

1. दावेदार(रों) का/के नाम :

2. पति/पत्नी का नाम :

3. पिता/माता का नाम :

4. पता :

5. ग्राम : जडासू, कटार, लौहली, मौकी रोड बौर पून (नरखरी)

6. ग्राम पंचायत : शौली

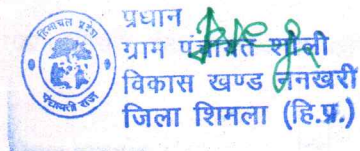
7. तहसील/तालुका : नरखरी

8. जिला : शिमला

9. (क) अनुसूचित जनजाति : हां/नहीं
(प्रमाणपत्र की अधिप्रमाणित प्रति संलग्न करें)

(ख) अन्य परंपरागत वन निवासी : हां/नहीं

(यदि पति/पत्नी अनुसूचित जनजाति से हैं प्रमाणपत्र की अधिप्रमाणित प्रति संलग्न करें)



10. कुटुंब के अन्य सदस्यों का नाम और आयु
(बालकों व वयस्क आश्रितों सहित)

भूमि पर दावे का स्वरूप :

1. अधिभोग की गई भूमि का विस्तार
(क) निवास के लिए :
(ख) स्वयं खेती के लिए, यदि कोई हो :
2. विवादित भूमि, यदि कोई हो :
[अधिनियम की धारा 3 (1) (क) देखें]
3. पट्टे/पट्टे/अनुदान, यदि कोई हो :
[अधिनियम की धारा 3 (1) (छ) देखें]
4. यथावत् पुनर्वास के लिए भूमि या आनुकूलिक
भूमि यदि कोई हो :
[अधिनियम की धारा 3(1) (ड) देखें]
5. भूमि, जहां से भूमि प्रतिकर दिए बिना
विस्थापित किए गए हैं :
[अधिनियम की धारा 4(8) देखें]
6. वन ग्रामों में भूमि का विस्तार, यदि कोई हो :
[अधिनियम की धारा 3(1) (ज) देखें]
7. अन्य कोई पारंपरिक अधिकार, यदि कोई हो :
[अधिनियम की धारा 3(1) (झ) देखें]
8. समर्थन में साक्ष्य :
(नियम 13 देखें)
9. अन्य कोई सूचना :

दावेदार(रों) के
हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान



प्रधान
ग्राम पंचायत
विकास खण्ड
जिला शिमला (हि.प्र.)

प्ररूप-ख

सामुदायिक अधिकारों के लिए दावा प्रारूप
[नियम 11 (1) (क) और 11 (4) देखें]

1. दावेदार(रों) का/के नाम :
क. एफडीएसटी समुदाय : हां/नहीं
ख. ओटीएफडी समुदाय : हां/नहीं

2. ग्राम : गडसर कपूर लोहरी - चौकी खदेर
इन सी रट रटन
3. ग्राम पंचायत : शोली
4. तहसील/तालुका : ननखरी
5. जिला : शिमला

प्रयोग किए गए सामुदायिक अधिकारों का स्वरूप :-

1. सामुदायिक अधिकार जैसे निस्तार, यदि कोई हो :
[अधिनियम की धारा 3(1) (ख) देखें]
2. गौण वन उत्पादों पर अधिकार, यदि कोई हो :
[अधिनियम की धारा 3(1) (ग) देखें]
3. सामुदायिक अधिकार
क. उपयोग या पात्रता (मछली, जलाशय), यदि कोई हों :

ख. चरने हेतु, यदि कोई हों :

ग. पारंपरिक संसाधनों तक यायावरों और पशुपालकों की पहुंच, यदि कोई हों,
[अधिनियम की धारा 3(1) (छ) देखें]

4. पीटीजी व कृषि पूर्व समुदायों के लिए प्राकृतिक वास और पूर्ववास की सामुदायिक अवधियां, यदि कोई हो :
[अधिनियम की धारा 3(1) (ड) देखें]
5. जैव विविधता तक बौद्धिक संपदा और पारंपरिक ज्ञान तक पहुंच का अधिकार, यदि कोई हो :
[अधिनियम की धारा 3(1) (ट) देखें]
6. अन्य पारंपरिक अधिकार यदि कोई हो :
[अधिनियम की धारा 3(1) (ठ) देखें]
7. समर्थन में साक्ष्य :
(नियम 13 देखें)
8. अन्य कोई सूचना :



प्रधान
ग्राम पंचायत शीली
विकास खण्ड समखरी
जिला शिमला (हि.प्र.)

बावेदार(रों) के
हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

प्ररूप - ग

सामुदायिक वन संसाधन के अधिकारों के लिए दावा प्ररूप

[अधिनियम की धारा 3 (1) (झ) और नियम 11(1) (क) और 11(4) देखिए]

1. ग्राम / ग्राम सभा : ठाकुर लाल लौहरी - चौकी रेनबो लड्डूवन
2. ग्राम पंचायत : कोली
3. तहसील / तालुक : नान्खरी
4. जिला : कोयला

5. ग्राम सभा के सदस्यों के नाम (प्रत्येक सदस्य के सामने उपदर्शित अनुसूचित जनजाति / अन्य परंपरागत वन निवासी प्रांस्थिति सहित अलग एक प्रपत्र के रूप में संलग्न करें)

दावा करने के लिए जनजातियों / अन्य परंपरागत वन निवासियों का होना पर्याप्त है।

हम, इस ग्राम सभा के अधोहस्ताक्षरित निवासी, इसके द्वारा यह संकल्प करते हैं कि नीचे और संलग्न मानचित्र में निर्दिष्ट क्षेत्र, जिससे हमारा ऐसा सामुदायिक वन संसाधन सम्मिलित है, जिस पर हम धारा 3 (1) (झ) के अधीन अपने अधिकारों की मान्यता का दावा कर रहे हैं।

(अवस्थित ग्राम की पारंपरिक या रुढ़िजन्य सीमाओं के भीतर भूमि चिह्न या चरागाही समुदायों की दशा में उस स्थलाकृति का मौसमी उपयोग, जिसके लिए समुदाय पारंपरिक पहुंच रखता था और जिन्हें वे संधार्य उपयोग के लिए पारंपरिक रूप से संरक्षित, पुनरुज्जीवित, परिरक्षित और प्रबंधित करते रहे हैं, को दर्शाते हुए सामुदायिक वन संसाधन का मानचित्र संलग्न करें। कृपया ध्यान दें कि इसके शासकीय सीमाओं के अनुरूप होने की आवश्यकता नहीं है।)

6. खसरा/कपार्टमेंट संख्या (संख्याएं) यदि कोई हों और यदि ज्ञात हो :

7. सीमा से लगते हुए ग्राम :

(i)

गडासू, लटार, लौहली, खदेच, चौकी,
रूनशौलर पूनन

(ii)

(iii)

(इसमें किन्हीं अन्य ग्रामों के साथ संसाधनों और उत्तरदायित्वों का हिस्सा बटाने के संबंध में जानकारी भी सम्मिलित की जा सकेगी)

8. समर्थन में साक्ष्य की सूची (कृपया नियम 13 देखिए)



प्रधान
ग्राम पंचायत शांति
विकास खण्ड नरखरी
जिला शिमला (हि.प्र.)

दावेदार(दावेदारों) का/के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान :